




115



// जय स्वामीनारायण //

PBR/किरानी/खरगोन/भू-रा/2017/2925 य.पु.कमांक अ-13/2016-17
प्रस्तुत दिनांक - 24.08.2017

माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

श्री. ~~दीपक खोसले~~ केम्प इंदौर

द्वारा 24-8-2017 देवेन्द्र पिता रणछोड पाटीदार उम्र 45 साल धंधा खेती

निवासी ग्राम खराडी तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मांगीलाल पिता हुकुमचंद पाटीदार उम्र 35 साल धंधा शिक्षक

निवासी ग्राम ठुनगाँव तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

.....प्रत्यर्थी

वाद - रास्ते की रोक हटाने बाबद।

विद्ववान अधिनस्थ नायब तहसीलदार महोदय

न्यायालय टप्पा मण्डलेश्वर द्वारा रा.प्र.क

1-अ-13/2016-17 में पारित आदेश दिनांक

08.08.2017 के विरुद्ध

PBR/निग/शकशा/प्र.श/2017/2925

रक/गो

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>20.9.2017</p>	<p>आवेदक की उमर से श्री हरीश सोलंकी अभिभावक अपाहिता। शाल्यता पर खुना गया। तहसीलदार के आदेश का अवकाश किया गया। तहसीलदार द्वारा आवेदक को आपत्त संश्लेष आदेश पारित का निरस्त की गई है, जो प्रथम दृष्टया अवैधानिक कार्यवाही है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.08.2017 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक की आपत्त के हस्तक्षेप में कोलता हुआ आदेश पारित करें।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p>हस्ताक्षर</p>